यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, कार्यालय विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई, रोशनाबाद, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
कार्यालय प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई, रोशनाबाद, हरिद्वार के माह 04.2012 से 08.2017 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 06.09.2017 से 11.09.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई, रोशनाबाद, हरिद्वार के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य आता है। इकाई द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण हरिद्वार के साथ-साथ सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य कार्यालय प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई, रोशनाबाद, हरिद्वार के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	**आयोजनेत्तर (Non-Plan)**		**आयोजनागत (Plan)**	
	आवंटित धनराशि	**व्यय धनराशि**	**आवंटित धनराशि**	**व्यय धनराशि**
2012-13	समस्त आवंटित धनराशि प्लान के अन्तर्गत आवंटित होती है ।		143.81	127.41
2013-14			62.08	60.68
2014-15			103.88	97.21
2015-16			126.22	60.61
2016-17			125.70	125.33

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष				
प्रारम्भिक शेष		लागू नही		
वर्ष के दौरान प्राप्तिया	(क) केंद्रान्श			
	(ख) राज्यांश			
	(ग)अन्य स्त्रोतों से			

कुल प्राप्तिया	
व्यय	
अंतिम शेष	

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2012-13	शून्य					
2013-14						
2014-15						
2015-16						
2016-17						

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड

b).*अपर* सचिव/ निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

c) . अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड,

d) . सयुक्त निदेशक, गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर गढ़वाल

e) . प्रधानाचार्य

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2012 से 08.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई, रोशनाबाद हरिद्वार के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी I यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई, रोशनाबाद, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10.2012, 03.2017 एवं 05.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो- (ब)</u>

प्रस्तर संख्या 01 :- संस्थान मे प्रशिक्षार्थियों को काशनमनी कि धनराशि रु 18,150/- तथा छात्रवृति की धनराशि रु 19,000/- को छात्रों को वापस नही किया जाना।

प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय रोशनाबाद, आई. टी. आई , संस्थान मे प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षार्थियों को निम्नलिखित आवश्यक नियमो एवं शर्तो के तहत प्रवेश दिया जाता है:-

1. **प्रशिक्षण शुल्क:-** प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क दर रु 40.00 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षण शुल्क प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करना, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे तथा प्रवेश के समय प्रशिक्षार्थी को छ: माह का प्रशिक्षण शुल्क एक साथ जमा करना होगा।

2. **प्रतिभूति धनराशि (काशनमनी)** : प्रवेश के समय समस्त प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त रु 50.00 प्रतिभूति धनराशि (काशनमनी) जमा करनी होगी जो प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर सरकारी देय यदि कोई हो की कटौती के बाद प्रतिभूति की राशि वापस कर दी जाएगी।

3. **छात्रवृत्ति :-** संस्थान मे प्रशिक्षणरत सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के 10 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को विभागीय बजट से रु 40.00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृति देय होगी।

प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई. रोशनाबाद के लेखो की जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि 04/2012 से 08/2017 के दौरान संस्था द्वारा कुल रु 18,150/- कि

काशनमनी विभिन्न वर्षो मे प्राप्त हुई थी जो नियमानुसार प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ती पर सरकारी देय यदि कोई हो की कटौती के बाद प्रतिभूति की राशि प्रशिक्षार्थियों को वापस की जानी थी उक्त संबन्धित धनराशि को संस्थान द्वारा वापस नही किया गया है। उक्त लेखापरीक्षा अवधि के बजट कंट्रोल रजिस्टर कि जांच मे पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान संस्थान को कुल धनराशि रु 19000/- की छात्रवृति समय समय पर प्रशिक्षार्थियों को वितरण करने हेतु निदेशालय से प्राप्त हुई है जिसे संस्थान द्वारा प्रशिक्षार्थियों को वर्तमान तक वितरित नही किया गया है। छात्रवृति का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	**वर्ष**	**छात्रवृति की धनराशि**
1	2013-14	8000
2	2014-15	3000
3	2015-16	2000
4	2016-17	3000
5	2017-18	3000
कुल योग		19000/-

उक्त से संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि काशनमनी की धनराशि छात्रों को वापस करने हेतु नियम का अनुपालन भविष्य मे किया जाएगा तथा छात्रवृति हेतु प्राप्त उक्त धनराशि का वितरण संस्थान द्वारा नही किया गया है जो कि निकट भविष्य मे वापस कर दी जाएगी। उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि नियमो के अनुसार प्रशिक्षण के संतोषजनक समाप्ती पर काशनमनी (प्रतिभूति) की राशि वापस की जानी थी तथा छात्रवृति की धनराशि विभागीय बजट आवंटित होने पर रु 40.00 प्रतिमाह कि दर से छात्रों को देय थी अतः उक्त वर्णित धनराशि छात्रों को वापस नही कि गयी है।

अतः संस्थान मे प्रशिक्षार्थियों को काशनमनी कि धनराशि रु 18,150/- तथा छात्रवृति की धनराशि रु 19,000/- को छात्रों को वापस नही किया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- 2 :- अर्जित ब्याज की धनराशि रु 10,399/- राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 126/ (1) / xxvii (6) – T.C.A. 934 – 2014 दिनांक 21.04.2017 (वित्त अनुभाग- 6) के अनुसार- " जितने भी बैंक खाते हैं, उन खातों में अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुये तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाय। उक्त धनराशि को जमा कराने की विभागाध्यक्ष की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी रहेगी" एवं उत्तराखंड शासन के पत्रांक- वित्त अनुभाग- 3/ 2003- 04, दिनांक- 30.04.2003 के अनुसार अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में लेखा शीर्षक- 0049 ब्याज प्राप्तियों में जमा किया जाए।

कार्यालय प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय आई.टी.आई. रोशनाबाद, पोस्ट- सलेमपुर महदूद बहादराबाद, हरिद्वार की लेखापरीक्षा अवधि माह 04.2012 से 08.2017 की लेखा–अभिलेखों के अनुसार खातों में " अर्जित ब्याज" के जांच में निम्नलिखित विवरण पाया गया :-

Central Bank of India,Saving Bank Account No. 3173 9781 95

Name: Vishisht Rajkiya Audyogik Prashikshan Sansthan, Roshanabad, Haridwar

Date	Amount of interest collected (Rs)
31.05.2012	108
30.11.2012	86
31.05.2013	590
30.11.2013	220
31.05.2014	559
30.11.2014	491
31.05.2015	523
30.11.2015	475
31.05.2016	4149
31.08.2016	1386
30.11.2016	386
28.02.2017	453
31.05.2017	485
31.08.2017	488
Total =	**10,399/-**

उपरोक्त बचत बैंक खाता सं.- 3173 9781 95 में दिनांक 31.08.2017 तक कुल रु 10,399/- की धनराशि का ब्याज अर्जित हुआ था । अर्जित ब्याज को लेखापरीक्षा अवधि की तिथि 31.08.2017 तक राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रधानाचार्य ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*निकट भविष्य में शीघ्र ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 126/ (1) / xxvii (6) – T.C.A. 934 – 2014 दिनांक 21.04.2017 (वित्त अनुभाग- 6) एवं पत्रांक- वित्त अनुभाग- 3/ 2003- 04, दिनांक- 30.04.2003 के दिशा-निर्देशों का उलंघन किया गया था ।

अतः अर्जित ब्याज की धनराशि रु 10,399/- राजकोष में जमा न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

<u>प्रस्तर</u>- 1:- धनराशि रु 1.87 लाख के Raw Materials से उत्पन्न स्क्रैप का लेखा-जोखा न रखा जाना।

Scrap is the process waste, broken & any other item but has got resale value. सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम- 200 के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "If the Ministry or Department is unable to sell any surplus or obsolete or unserviceable item in spite of its attempts through advertised tender or auction, it may dispose off the same at its scrap value with the approval of the competent authority in consultation with the finance division. In case the Ministry or Department is unable to sell the item even at its scrap value, it may adopt any other mode of disposal including destruction of the item in an eco-friendly manner". <u>एवं</u> वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "The money received on behalf of the Central or other State Government shall be deposited into the Treasury or Bank".

कार्यालय प्रधानाचार्य, विशिष्ट राजकीय आई.टी.आई. रोशनाबाद, पोस्ट- सलेमपुर महदूद बहादराबाद, हरिद्वार की अवधि माह 04.2012 से 08.2017 की लेखा–अभिलेखों के अनुसार "Raw materials purchased and its scrap" की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित विवरण पाया गया :-

Financial year	Name of Raw material	Cost of Raw material (Rs)	Cost of scrap
04.2012 to 03.2013	MS Flat50x8	1038	--
	MS Flat 65x8	755	---
	MS flat 50x10	600	-----
	MS Flat 30x5	1500	----
	MS Rod 40	2976	---
	MS Rod 50	3038	-----
	MS Sheet 6x3x0.2	5100	----
	GI Sheet 8x4x0.5	1150	------
	MS Angal Irn	12600	----
	MS Flat any size	630	-----
	MS Rod any size	635	----
04.2013 to 03.2014	Nil	0	
04.2014 to 03.2014	MS Shit 3mm Thik	2400	------
	MS Flat Assorteg size	4000	----
	MS Rod Assorteg size	4050	----
04.2015 to 03.2015	MS Flat 50x10	3990	------
	MS Flat 50x08	7980	-----
	MS Squre1/2	998	------
	MS Angle Iron 35x35x5	1995	------
	MS Rod 25-30-40-50	14963	------
	MS Rod 25-30-40-50	9975	------
	MS Flat 60x10	2993	------
	MS Flat 50x8	3292	----
	MS Flat 40x6	3990	-----

	MS Fat 100x10	3990	-----
04.2016 to 03.2016	MS Flat 50x10	23040	----
	MS Rod 30	11520	----
	MS Rod 40	5760	----
	MS Rod 50	5760	-----
04.2017 to 08.2017	MS Squar 18x18	1059	-----
	MS Flat 50x08	6163	-----
	Ms Rod 30	5953	-----
	MS Rod 40	5953	----
	MS Rod 50	5953	------
	MS Squar	2914	---
	MS Pipe 50x3	1858	-----
	MS Flat 60x08	6163	------
	MS Sheet 3 Thick	1638	-----
	MS Flat 50x08	6163	-----
	MS Squre 18x18	2214	-----
	Total =	**1,86,749/-**	

उपरोक्तानुसार धनराशि रु 1,86,749/- के Raw materials की ख़रीदारी लेखापरीक्षा अवधि में की गयी थी, परंतु उक्त अवधि में, उत्पन्न हुये स्क्रैप का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया था, न ही वित्तीय नियमानुसार उच्च अधिकारियों के अनुमोदन उपरांत नीलामी करने एवं प्राप्त धनराशि को राजस्व मे जमा करवाने की प्रक्रिया की गयी थी इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रधानाचार्य ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*भविष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धनराशि रु 1,86,749/- के Raw materials से उत्पन्न हुये स्क्रैप का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया था एवं न ही वित्तीय नियमानुसार उच्च अधिकारियों के अनुमोदन उपरांत नीलामी करने एवं प्राप्त धनराशि को राजस्व में जमा करवाने की प्रक्रिया की गयी थी।
अतः धनराशि रु 1.87 लाख के Raw Materials से उत्पन्न स्क्रैप का लेखा-जोखा न रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर संख्या 02:- सामान्य भविष्य निधि पुस्तिका मे धनराशि रु 1,17,546/- का समायोजन नही किया जाना।

कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान सामान्य भविष्य निधि पुस्तिका एवं लेजर की जांच के उपरान्त यह पाया गया कि श्री प्रेम चन्द, प्रधानाचार्य कि भविष्य निधि पुस्तिका मे धनराशि रु 80000 का स्थायी आहरण अगस्त 2012 मे किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा मे यह पाया गया कि उक्त धनराशि उक्त वर्ष के अंतिम अवशेष से नहीं घटाया गया। जिसके कारण उक्त धनराशि पर अदेय ब्याज भी प्रदान की जा रही थी। जिसके फलस्वरूप 5 वर्षो मे संबन्धित व्यक्ति के सामान्य निधि खाते मे औसतन 8.6 प्रतिशत कि दर से ब्याज कि धनराशि रु 37547/- अधिक

गणना की गयी, अतः धनराशि 80000/- कि धनराशि को विगत 5 वर्षो मे सामान्य भविष्य निधि मे घटाए नही जाने के कारण न केवल रु 37547/- अधिक ब्याज कि गणना संबन्धित व्यक्ति के खाते मे कि गयी बल्कि रु 80000/- की अधिक धनराशि उनके भविष्य निधि मे गलत जोड़ी गयी है अतः कुल 1,17,546/- की धनराशि को समायोजित किया जाना आपेक्षित है।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों कि पुष्टि करते हुये अवगत कराया है कि शीघ्र ही नियमानुसार शुद्धिकरण कर लिया जाएगा। उत्तर मान्य नही है क्यूकी उक्त धनराशि का समायोजन किया जाना इकाई द्वारा आपेक्षित रहेगा

अतः सामान्य भविष्य निधि पुस्तिका मे धनराशि रु 1,17,546/- का समायोजन नही किया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई, रोशनाबाद हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री प्रेम चन्द्र , प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य, कार्यालय विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई, रोशनाबाद हरिद्वार	प्रथम लेखापरीक्षा (04.2012 से 08.2017 तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय विशिष्ट राजकीय आई. टी. आई,

रोशनाबाद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेस, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र